

ओवरव्यू

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,711.40 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित "खदान एवं भू-विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टॉम्प शुल्क, यात्री एवं माल कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 27 उदाहरणदर्शक अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय-1

सामान्य

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 52,496.82 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 62,694.87 करोड़ थीं। इसमें से, 80 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 41,099.38 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 9,112.85 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 20 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 7,297.52 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 5,185.12 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 10,198.05 करोड़ (19.43 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की 314 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2017-18 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 22,744 मामलों में कुल ₹ 3,298.68 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष 2017-18 के दौरान, विभाग ने 5,743 मामलों में ₹ 1,525.34 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान 164 मामलों में ₹ 29.66 करोड़ वसूल कर लिए थे।

(अनुच्छेद 1.11)

2. अध्याय-2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का कार्यान्वयन 1 जुलाई 2017 से किया गया था। जी.एस.टी. माल एवं सेवाओं की राज्यआंतरिक आपूर्ति पर (मानव उपयोग के लिए अल्कोहल एवं पांच विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त) पृथक रूप से परंतु एक साथ केंद्र (सी.जी.एस.टी.) और राज्य (एस.जी.एस.टी.)/संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.जी.एस.टी.) के द्वारा लगाया जाता है। आगे, एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) माल एवं सेवाओं (आयात सहित) की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है और आई.जी.एस.टी. लगाने की एकमात्र शक्ति संसद के पास है। 1 जुलाई, 2017 से नियमों/विनियमों में बार-बार परिवर्तन हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप जी.एस.टी. निर्धारित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन नहीं हुए। आगे, आई.टी. समाधान पूर्ण रूप से विकसित किया जाना था और रिटर्नस फाईल करने के बारे में समस्या का समाधान नहीं हुआ था। विभाग द्वारा लीगेसी कर प्रणाली से संबंधित समस्याओं को केंद्रीभूत व्यवस्थाओं के माध्यम से शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 2.3)

आबकारी एवं कराधान विभाग ने अपंजीकृत डीलरों की पहचान को सरल करने के लिए अन्य विभागों से सूचना संग्रहण के लिए प्रणाली स्थापित नहीं की। अपंजीकृत ठेकेदारों से कर की अवसूली के मामले, कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सृजित अतिरिक्त मांग पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना, कर का उद्ग्रहण न होना, वैट डी-1 फार्म के दुरुपयोग के लिए कर व जुर्माना का न लगाना और कर की गलत दर लागू होने के कारण कर और ब्याज का कम उद्ग्रहण आई.टी.सी. के अतिरिक्त लाभ की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण, ठेकेदारों द्वारा सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.) का छिपाव और एमनेस्टी स्कीम के अधीन कर के कम निर्धारण के दृष्टांत देखे गए, जिनके परिणामस्वरूप ₹ 79.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.4)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने फार्मों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति दे दी जिसके परिणाम में ₹ 3.53 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 10.59 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 2.5)

कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कम टर्नओवर पर कर के निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 13.19 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 43.62 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 2.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अवैध 'एफ' फार्मों के विरुद्ध प्रेषण बिक्री के लाभ की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.78 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 5.34 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 2.7)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की कम वापसी/वापसी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 9.04 करोड़ की आई.टी.सी. का अधिक लाभ दिया गया।

(अनुच्छेद 2.8)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ड्यूटी एनटाईटलमेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.) जो डीलर द्वारा बेचा नहीं गया को खरीदने के लिए अदेय आई.टी.सी. दावा की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.89 करोड़ के इनपुट कर की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.73 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 2.9)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 7.08 करोड़ मूल्य की मर्दों की बिक्री को कर मुक्त माल के तौर पर निर्धारित कर दिया। तथापि, ये मर्दे 5.25 प्रतिशत और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 43.31 लाख की राशि के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 24.53 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 2.10)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा परिगणना में गलती के कारण ₹ 41.46 लाख राशि के कर का अवनिर्धारण था।

(अनुच्छेद 2.11)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय दो डीलरों द्वारा कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 27.77 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.12)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय विक्रेता डीलरों से खरीद का सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दे दी जिसके फलस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.83 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहण था।

(अनुच्छेद 2.13)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय 13.125 प्रतिशत की बजाय 5/5.25 प्रतिशत की गलत दर पर कर का उद्ग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ के कर का अव-निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.27 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

(अनुच्छेद 2.14)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, दो डीलरों को ₹ 27.15 लाख के कर जमा करने के गलत लाभ की अनुमति दे दी। इसके अतिरिक्त, ₹ 14.96 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

(अनुच्छेद 2.15)

3. अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

अप्रैल 2015 से जनवरी 2017 की अवधि के लिए 195 लाइसेंसधारियों द्वारा ₹ 149.19 करोड़ की लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण के ₹ 3.95 करोड़ की हानि थी।

(अनुच्छेद 3.3)

ठेकेदारों द्वारा कोटा कम उठाने पर डी.ई.टी.सी. (आबकारी) की पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.4)

विभाग द्वारा मूल आबंटियों से लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.5)

वाहनों की जब्ती के एक से तीन वर्षों के समापन के बाद भी विभाग, उनकी नीलामी करके या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली द्वारा अवैध शराब के स्वामित्व के लिए दोषियों से ₹ 73.84 लाख की संपूर्ण पेनल्टी वसूल करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.6)

विभाग द्वारा दुकानदारों से देय लाइसेंस फीस के विरुद्ध सहभागिता फीस का राज्य आबकारी नीति के उल्लंघन में अनियमित समायोजन अनुमत किया गया था परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 31.20 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.7)

4. अध्याय-4

स्टाम्प शुल्क

पट्टा करारों का साधारण करारों के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण खनन पट्टे के 30 दस्तावेजों पर अपर्याप्त रूप से स्टाम्प लगाए गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.36 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ। वार्षिक औसत किराए की गणना के लिए वार्षिक वृद्धि को ध्यान में न रखने और 25 मामलों में स्टाम्प शुल्क की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 13.17 करोड़ के एस.डी. और आर.एफ. की कम वसूली हुई।

हरियाणा खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा रोडवेज, नगर निगमों के 411 करारों के पट्टा विलेखों के गैर-निष्पादन और मोबाईल टावरों के पट्टा विलेखों के गैर-पंजीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 26.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा 10 बिक्री विलेखों का बिक्री करार की बजाए संयुक्त करार के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.99 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

कलैक्टर द्वारा रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति के लिए निर्धारित की गई दरों की बजाय कृषीय भूमि के लिए निर्धारित दरों पर 74 विलेख पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 4.69 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

पंजीकरण प्राधिकारियों ने नगरपालिका की सीमाओं के भीतर पड़ने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले 100 प्लॉटों के बिक्री विलेखों का आवासीय भूमि की बजाय कृषीय भूमि के लिए निर्धारित दरों पर गलत निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 2.45 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने बिक्री पर हस्तांतरण का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण किया और कलैक्टर दर के अनुसार ₹ 1.71 करोड़ की बजाय केवल ₹ 10,920 के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण किया परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ के एस.डी. तथा आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.6)

हस्तांतरण विलेखों के 53 दस्तावेजों में जो खून के रिशतों से अलग अन्य व्यक्तियों के पक्ष में थे, स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹ 88.78 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.7)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने प्राइम खसरा भूमि को कृषीय भूमि पर नियत दर से गलत निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 0.87 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.8)

21 मामलों में किसानों, जिन्होंने आवासीय/वाणिज्यिक भूमि खरीदी तथा पांच मामलों में मुआवजा प्राप्त करने के दो वर्ष बाद कृषीय भूमि खरीदी, को स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अनियमित छूट अनुमत की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.51 लाख के एस.डी. तथा आर.एफ. का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.9)

5. अध्याय-5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

परिवहन विभाग

माल ढोने वाले 1,584 वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2016-17 के दौरान माल कर जमा नहीं करवाया परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ के माल कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 61.33 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 5.3)

माल ढोने वाले 1,305 वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान टोकन टैक्स जमा नहीं करवाया परिणामस्वरूप ₹ 18.42 लाख वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 36.84 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

(अनुच्छेद 5.4)

6. अध्याय-6

अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

“खदान एवं भू वैज्ञानिक विभाग की कार्यप्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा में ठेकेदारों द्वारा अनुबंधों के विलंबित निष्पादन/निष्पादित न किए जाने, बोली जमानत की शेष राशि के विलंबित जमा करने/जमा न करने, ठेकेदारों से संविदा राशि और उस पर ब्याज की मासिक किश्तों के कम जमा करने/जमा न करने के मामले प्रकट किए, ठेकेदारों के साथ-साथ सरकार द्वारा एम.एम.डी.आर.आर. निधि में कम अंशदान था और विभाग द्वारा निधि की अपर्याप्त मॉनीटरिंग थी। स्टोन क्रशर परिचालित करने के लाईसेंसों के नवीकरण में विलंब, ईंट भट्टा स्वामियों से रॉयल्टी, अतिरिक्त रॉयल्टी और उस पर ब्याज की कम वसूली/अवसूली के मामले भी देखे गए थे परिणामस्वरूप ₹ 1,476.21 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

- कुल 95 ठेकेदारों में से 77 ठेकेदारों ने पांच से 891 दिनों की देरी से अनुबंधों का निष्पादन किया और नौ ठेकेदारों ने अनुबंधों का निष्पादन नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 6.3.8.2)

- ठेकेदारों/पट्टाधारकों द्वारा वार्षिक संविदा राशि/डेड रेंट के 25 प्रतिशत के बराबर जमानत जमा रखनी अपेक्षित है, जिसमें से 10 प्रतिशत नीलामी के समय प्रारंभिक बोली जमानत के रूप में बोली जमा की जाएगी और शेष 15 प्रतिशत बोली जमानत खनन परिचालन शुरू होने से पहले या लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने की तिथि से 12 मास की अवधि व्यतीत होने से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा की जाएगी। 59 ठेकेदारों ने ₹ 132.02 करोड़ की बोली जमानत की शेष राशि तीन से 854 दिनों की विलंब के साथ जमा की और 11 ठेकेदारों ने ₹ 29.28 करोड़ की बोली जमानत की शेष राशि जमा नहीं की गई।

(अनुच्छेद 6.3.8.3 (i) तथा (ii))

- विभाग ने ₹ 808.21 करोड़ के संविदा राशि के कम जमा करवाने/जमा न करवाने के लिए 69 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। ₹ 347.63 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3.9.1)

- विभाग ने खदान और खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में ₹ 49.30 करोड़ कम जमा करने/जमा न करने के लिए 48 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। ₹ 17.44 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3.9.3)

- सरकार ने खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में अपने हिस्से का ₹ 17.70 करोड़ राशि का अंशदान जमा नहीं करवाया।

(अनुच्छेद 6.3.9.4)

- सरकार ने खदान और खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में ₹ 4.61 करोड़ का ब्याज क्रेडिट नहीं किया।

(अनुच्छेद 6.3.9.5)

- चयनित रेत और बोल्टर/बजरी खदानों के भू-स्थानिक सर्वेक्षण से पता चला कि खनन योजनाओं में दिए गए खनन स्थलों के को-ऑर्डिनेट साइट निरीक्षण पर दर्शाए गए को-ऑर्डिनेट से भिन्न थे।

(अनुच्छेद 6.3.11.1)

- रेत खनिकों द्वारा नदी के प्रवाह में बाधा के कारण नदी का प्रवाह क्षेत्र बदल गया था।

(अनुच्छेद 6.3.11.3)

- 4,139 ईट भट्टा स्वामियों में से 181 मामलों में रॉयल्टी एवं अतिरिक्त रॉयल्टी के तौर पर ₹ 0.53 करोड़ जमा नहीं करवाए। ₹ 0.24 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3.13.1)